FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अदालत........सहायक कलक्टर (SDO) जायल........मुकाम........

........मलाराम........बनाम........महेन्द्रराम [illegible]........

किस्म मुकदमा........111/128 [illegible]........नं........166/19........सन्........2019........

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/06/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री .... मेलाराम जाखड़ .... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ....111, 128........ राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ....12/06/19........ को पेश हो।	
12/06/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल अदम तामिल अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 10/07/19 को पेश हो।	
10.7.19	प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दीगर कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 4/9/19 को पेश हो।	
4.9.19	प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगण [illegible]। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय [illegible] कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली [illegible] 30/12/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:36:42 IST
Reason: SelfAttested

30/12/19 प्रार्थी वकील उप० । विप्रार्थीगण अनु० । आम...
पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश में पधारे ...
से पत्रावली दिनांक 10/2/2020 को पेश हो ।

10/2/2020 प्रार्थी वकील उप० । विप्रार्थीगण बावजूद तामील
अनु० । न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई ।
अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई, विप्रार्थीगण
स्वयं या उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।
लिहाजा उसके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल
में लाई जाती है। प्रार्थी वकील की एकतरफा बहस
सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी एवं
विप्रार्थीगण की भूमि सटी हुई आई हुई है दोनों पक्षकारों
के खेतो के बीच पुरानी मांढ एवं कोने बने हुए है
लेकिन वर्तमान में आंधियां से बिखर गए है। जिस
कारण प्रार्थी को सही हद का ज्ञान नहीं हो पाता
है। जिससे वर्षात होने पर विप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि
में काश्त कर लेते है। इससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के
बीच तनाव बना रहता है। जिस कारण प्रार्थी को अपने
खातेदारी खेतों की पक्की नक्शबंदी करवाना आवश्यक है
इसलिए प्रार्थीगण का नक्शबंदी आवेदन स्वीकार कर
नक्शबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी के अधिवक्ता के निवेदन
पर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार
बायतु को कमीशनर एवं सम्बंधित भू.अ. निरीक्षक को
सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया
जाता है कि आप स्वयं या अपने सहायक कमीशनर से
प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नक्शबंदी मौके पर
कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट
पेश होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल
शुमार हो दर्ज रजिस्टर हो कमरे ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:36:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2020/ 134 दिनांकः– 12/2/2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मलाराम पुत्र उमाराम वगैरा जाति जाट निवासी कालानाड़ा झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. नरूराम पुत्र तेजाराम वगैरा निवासी कालानाड़ा झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या ~~285~~ 166/19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा कालानाड़ा पटवार हल्का झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 676/592, 685/608 रकबा क्रं.स. 22.11, 37.13 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधिंत भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2020/ 135-139 दिनांकः– 12/2/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी झाक को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मलाराम
4. विप्रार्थीगण श्री नरूराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा/बायतु/नागाणा ।

10.2.2020
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:36:42 IST
Reason: SelfAttested